रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1845] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2019/आषाढ़ 3, 1941
No. 1845] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2019/ASHADHA 3, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2019

का.आ. 2057(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2151 (अ) के *तहत* विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, (एनडीपीएस अधिनियम) भोपाल को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, श्री गिरीश दीक्षित, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम एवं 16वें एएसजे, भोपाल जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 06 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. का. आ. 1079 (अ.) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 06 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1079 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्वारा श्री राजेंद्र प्रसाद चौरसिया, 16वें एएसजे एवं विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम, भोपाल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2019

S.O. 2057(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2151 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Special Judge (NDPS Act), Bhopal, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Madhya Pradesh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Girish Dixit, Special Judge, NDPS Act & XVIth ASJ Bhopal, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1079 (E) dated the 6th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1079 (E), dated the 6th April, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Rajendra Prasad Chourasia, XVIth ASJ & Special Judge, NDPS Act, Bhopal, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, J. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.25 18:26:29 +05'30'